बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0—वेटनरी कॉलेज, पटना—14

स्वास्थ्य विभाग के अतंर्गत वर्ग—3 के तकनीकी पदों यथा एक्स—रे टेकनीशियन, शल्य कक्ष सहायक तथा प्रयोगशाला प्रवैधिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सा—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के अधीन निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन—लाईन आवेदन आयोग के वेवसाईट **http://bssc.bih.nic.in** पर आमंत्रित किये जाते है । ऑनलाईन आवदेन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध है ।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनाक—26.06.2015 से 14.07.2015 तक

विज्ञापन संख्या—03010115, पद का नाम एक्स—रे टेकनीशियन ।

कुल रिक्तियाँ:—215

अनुसूचित जाति	—	46
अनुसूचित जनजाति	—	01
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	50
पिछड़ा वर्ग	—	00
पिछड़ा वर्ग की महिला	—	10
अनारक्षित	—	108

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट—बढ़ सकती है ।

वेतनमान्—5200—20200, ग्रेड—पे 2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:—आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इन्टरमिडिएट / 10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता ।

तकनीकी योग्यता:— सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स—रे टेकनीशियन डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र ।

विज्ञापन संख्या:—04010115 पद का नाम शल्य कक्ष सहायक ।

कुल रिक्तियाँ:—236

अनुसूचित जाति	—	37
अनुसूचित जनजाति	—	03
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	43
पिछड़ा वर्ग	—	27
पिछड़ा वर्ग की महिला	—	07
अनारक्षित	—	119

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट—बढ़ सकती है ।

वेतनमान्—5200—20200, ग्रेड—पे 2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:—आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इन्टरमिडिएट / 10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता ।

तकनीकी योग्यता:— सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र ।

विज्ञापन संख्याः–05010115 पद का नाम प्रयोगशाला प्रवैधिक ।

कुल रिक्तियाँः–1772

अनुसूचित जाति	–	305
अनुसूचित जनजाति	–	17
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	351
पिछड़ा वर्ग	–	99
पिछड़ा वर्ग की महिला	–	56
अनारक्षित	–	944

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट–बढ़ सकती है ।

वेतनमान्–5200–20200, ग्रेड–पे 2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–396(4) दिनांक–24.03.2015 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक–31.12.2005 तक D.M.L.T में नामांकित एवं उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई0एस0सी0 / 10+2 विज्ञान होगी एवं दिनांक–31.12.2005 के बाद अर्थात दिनांक–01.01.2006 से नामांकित एवं उत्तीर्ण हो चुके अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमिडिएट / 10+2 (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, एवं अंग्रेजी) होगी ।

तकनीकी योग्यताः– सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक के डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र ।

उम्र सीमा (सभी पदो के लिए):–दिनांक–01.08.2014 के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

(1) आयु न्यूनतमः– 21 (इक्कीस) वर्ष । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या–2530, दिनांक–29.06.2010 के अनुसार अधिकतम–(1) अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में विकलागों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

चयन की प्रक्रिया (सभी पदो के लिए):–

आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवदेन–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगाः–

(1) निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना के पत्रांक–124 (4), दिनांक–02.02.2015 के अनुरूप अर्न्तवीक्षा हेतु उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार ढ़ाई गुणा (2.5) संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का शैक्षणिक, उच्चतर, तकनीकी योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर कुल–85 अंकों के लिए मेधा सूची तैयार करेगा । उक्त मेधा सूची के अनुरूप प्रस्तावित अर्न्तवीक्षा (15 अंक) के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित करेगा ।

(2) **शैक्षणिक, उच्चतर, तकनीकी एवं कार्यानुभव के लिए कर्णांकित 85 अंकों का विवरणः–**

(क) इन्टरमिडिएट / 10+2 के प्राप्तांक के लिए	–25 अंक
(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0 / एम0एस0सी0) के प्राप्तांक के लिए	–10 अंक
(ग) संबंधित पदो के तकनीकी कोर्स मेंडिप्लोमा की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–25 अंक
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य के अनुभव के लिए (प्रतिवर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–25 अंक
कुल	**–85 अंक**
(3) **साक्षात्कार**	**–15 अंक**
कुल	**–100 अंक**

टिप्पणीः इन्टरमिडियट / 10+2 एवं संबंधित पदो के तकनीकी कोर्स में डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण इन्टरमिडियट / उक्त डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा कर किया जायेगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा इन्टरमिडियट / 10+2 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.25=12.5 अंक दिये जायेगें । इसी तरह यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित पदो के तकनीकी कोर्स में डिप्लोमा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.25=12.5 अंक दिये जायेगें ।

क्वालीफाइंग मार्क्स (तीनो पदो के लिए):–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.06.2007 के आलोक में शैक्षणिक अहर्ता+अनुभव के लिए कर्णांकित 85 अंक तथा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैः–

सामान्य वर्ग	–	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	–	34 प्रतिशत
अनु0जाति / जनजाति	–	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	–	32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्क (तीनो पदो के लिए):–सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 375 / – (तीन सौ पचहतर) रूपये का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के भी है, 100 / – (एक सौ) रूपये परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा मे जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 375 / – (तीन सौ पचहतर) रूपया निर्धारित है । अभ्यर्थी ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् चालान डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक–26.06.2015 से 16.07.2015 तक समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा। चालान की प्रति ऑनलाईन आवदेन भरने के लिए आयोग के वेवसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् तीन प्रतियों में उपलब्ध होगा जिसको डाउनलोड कर उपयोग में लाना अनिवार्य है । किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध करके भरा हुआ चालान मान्य नहीं होगा ।

आरक्षणः—उपर्युक्त सभी पदो के लिए ।

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–70, दिनांक–11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण–पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये जानेवाला क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि के एक वर्ष के अन्दर निर्गत होना चाहिए ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

अन्य (तीनो पदो के लिए):—(i) किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा–पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पत्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

अंतिम तिथि (तीनो पदो के लिए):— ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक–26.06.2015 से 20.07.2015 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

21/6/15

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।